



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
प्रकीर्ण वर्ग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com, eicpwduk@nic.in

पत्रांक-
सेवा में,

1047

/174सा0प्र0/2018

दिनांक- 25/09/2018

अपर मुख्य सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- Online Payment System के अन्तर्गत धारा 51 के अनुसार 2 प्रतिशत कटौती का प्रविधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-50/2018-Central Tax दिनांक-13.09.2018 के द्वारा GST Act के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2018 से धारा 51 लागू की जानी है। इसके अनुसार नियमानुसार 2 प्रतिशत की कटौती ठेकेदार के वीजकों से की जानी है वर्तमान में ठेकेदारों के वीजकों से Income Tax Labour cess रॉयल्टी की कटौती का प्राविधान Online Payment System में किया गया है। कृपया इस प्रकार GST की 2 प्रतिशत की कटौती का प्राविधान Online Payment System में कराने की कृपा करें।

(आर0सी0पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- निदेशक कोषागार, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को अपलोड करने हेतु।

1. T
upload
26.09.18

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
25-9-18